तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/6440/2005/झालावाड़** **ग्राम वासियान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, उप राजकीय अधिवक्ता।

——

निर्णय

दिनांकः— 18.12.2025

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा अपील संख्या 24/99 में पारित निर्णय दिनांक 27–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झालरापाटन ने दिनांक 08.08.1994 को नामांतकरण संख्या 228 ग्राम भंवरासा निर्णय वन मण्डल अधिकारी, झालावाड़ के पक्ष में निर्णित करते हुए खसरा संख्या 712 की 41 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 827/831 की 67 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज करने का आदेश दिया तथा इस नामांतकरण से पहले एक नामांतकरण संख्या 135 ग्राम भंवरासा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.01.61 की पालना में खोला गया था जिसके अंतर्गत 994 बीघा 12 बिस्वा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई थी। शेष भूमि खसरा संख्या 361 ग्राम भंवरासा की 2 बीघा 4 बिस्वा कच्ची सड़क होने के कारण, खसरा संख्या 554 की 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि श्री जुझारसिंह के नाम होने के कारण, खसरा संख्या 548 की 67 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 613 की 118 बीघा चरनोट होने के कारण, 614 की 43.4 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी होने के कारण छोड़ दी गई थी। इस आराजी को छोड़ने का मुख्य कारण था कि उक्त आराजी का उपयोग ग्रामवासियान व्यापक जनहित में कर सकें। प्रार्थी द्वारा उक्त नामांतकरण संख्या 228 के विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 01.06.1999 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह द्वितीय अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष पेश की। जिसे अति0 संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2005 द्वारा खारिज कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/6440/2005/झालावाड़** **ग्राम वासियान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। दोनों अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि नामांतकरण संख्या 135 दिनांक 19.01.1961 को स्वीकृत किया जाकर रकबा 994 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई थी। राज्य सरकार के आदेश की पालना में एक तरह से आदेश नामांतकरण संख्या 135 के द्वारा की जा चुकी थी। ग्रामवासियान द्वारा शेष भूमि बाबत् तहसीलदार के समक्ष ऐतराज प्रस्तुत किए जाने के कारण आराजी चारागाह छोड़ दी गई। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध अपीलांट को कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 2 ही कार्यवाही कर सकता था लेकिन उनके द्वारा भी नामांतकरण संख्या 228 दिनांक 08.08.94 स्वीकृत किए जाने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार नामांतकरण संख्या 228 बिना उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। दोनों ही अधी0न्याया0 द्वारा यह मानकर कि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि चारागाह होने बाबत् कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है जिससे कि उनके कथनों की पुष्टि नहीं होती है। दोनों अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी के इस एतराज बाबत् कोई जांच नहीं की गई तथा ना ही मौका रिपोर्ट तलब की गई। यदि मौका रिपोर्ट तलब की जाती तो वास्तविक तथ्यों से न्यायालय अवगत हो सकता था। अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा यह मानना कि किसी कारणवश दो खसरा नंबरों का नामांतकरण वन विभाग के नाम स्वीकृत नहीं किया जा सका था। अतः वन विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश सही है। अति0 संभागीय आयुक्त को उन कारणों व भूमि के उपयोग बाबत् जांच कर आदेश पारित करना चाहिए था, केवल कयास के आधार पर अधूरा आदेश पारित कर उन्होंने एक प्रकार से अपील को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। दोनों अधी0न्याया0 का यह मानना कि राज्य सरकार की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/6440/2005/झालावाड़** **ग्राम वासियान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिसूचना को किसी भी सक्षम न्यायालय व राज्य सरकार के समक्ष चुनौती नहीं दी गई गलत है। प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार, झालरापाटन के समक्ष राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध नामांतकरण संख्या 135 स्वीकृत किए जाते समय ऐतराज प्रस्तुत किए जाने के कारण विवादित भूमि का नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया गया जो विवादित नामांतकरण के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 2 ने वर्ष 1961 से 1994 तक भूमि का न तो कब्जा लिया तथा ना ही राज्य सरकार के आदेश के तहत कार्यवाही की ऐसी स्थिति में प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए व बिना भूमि के उपयोग की जांच किए 33 साल बाद नामांतकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता था। दोनों ही अधी0न्याया0 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई चाराजोही नहीं किए जाने के बिन्दु पर अपना कोई स्पष्ट निर्णय पारित नहीं किया। नामांतकरण संख्या 228 दिनांक 08.08.94 प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए एवं बिना नोटिस दिए पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2005 एवं अति0 जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.99 को निरस्त किया जावें तथा नामांतकरण संख्या 228 दिनांक 08.08.94 को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि प्रार्थी के नाम आबादी विस्तार एवं चारागाह में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। बहस में आगे तर्क दिया कि दिनांक 19.01.61 को राज्य सरकार ने यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की है जिसके प्रभाव में ग्राम भंवरासा की यह चारागाह भूमि जंगलात विभाग को सौंप दी है। यदि ग्राम पंचायत को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो वर्ष 1961 की मूल अधिसूचना को उन्हें सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी। उनका यह भी कहना कि तहसीलदार द्वारा नामांतकरण संख्या 228 राज्य सरकार की अधिसूचना के प्रभाव से खोला गया है जिससे यदि सरपंच ग्राम पंचायत भंवरासा को कोई आपत्ति है तो अधिसूचना दिनांक 19.01.61 को निष्प्रभावी घोषित करवानी चाहिए। अतः निगरानी खारिज की जावें। हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/6440/2005/झालावाड़** **ग्राम वासियान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने नायब तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा दिनांक 08.08.1994 को तस्दीक किए गए नामांतकरण संख्या 228 चुनौती दी है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.01.1961 को मोजा भंवरासा की राजकीय भूमि को अधिरक्षित वन क्षेत्र घोषित करते हुए राज्य सरकार ने वन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी की थी । इस अधिसूचना के प्रभाव से नामांतकरण संख्या 135 व 161 ग्राम भंवरासा निर्णित किया गया है । किन्तु जब नामांतकरण 135 निर्णित किया गया था उस समय किसी कारणवश दो खसरा नंबरों का नामांतकरण वन विभाग के नाम स्वीकृत नहीं किया जा सका । चूंकि खसरा नंबर 712 एवं 827/831 की चारागाह भूमि बाबत् पूर्व में राज्य सरकार ने वन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 19.01.1961 को जारी की गई थी तथा उक्त अधिसूचना के प्रभाव में खसरा नंबर 712 रकबा 41 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 827/831 रकबा 67 बीघा 10 बिस्वा को वन विभाग के नाम दर्ज करने बाबत् आक्षेपित नामांतकरण संख्या 228 दिनांक 08.08.1994 को स्वीकृत किया गया है । यदि प्रार्थी को उक्त अधिसूचना से ऐतराज तो उन्हें उक्त अधिसूचना को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी किन्तु प्रार्थी ने ऐसा न कर अधिसूचना दिनांक 19.01.1961 के प्रभाव में पारित नामांतकरण संख्या 228 दिनांक 08.08.1994 को चुनौती दी है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत आक्षेपित निर्णय पारित किये है जिनमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य पायी जाती है । परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–09–2005 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.199 यथावत् रखे जाते है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानीसिंह पालावत)** **सदस्य**	